संचिका संख्या– BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)" अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छुटे हुए असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में 8283 कि०मी० ग्रामीण पथों को मल्टी ट्रॉंच फाइनान्सिंग फैसिलिटि के तहत ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक से यू०एस०डी० 63,81,20,000/– (यू०एस०डी० तीरसठ करोड़ इक्कासी लाख बीस हजार) अर्थात रूपया 5212,16,41,600/– (पाँच हजार दो सौ बारह करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार छः सौ रूपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा इस योजना के ट्रॉंच–I के 3014 कि0 मी0 का न्यूनतम 30% अर्थात 904 कि0मी0 ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के रेट्रोएक्टिव फाइनान्सिंग के तहत एडवांस प्रोक्योरमेंट के लिए कुल राशि रूपया 1500,00,00,000/– (एक हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य के सभी 38 जिलों में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षित 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छुटे हुए ग्रामों/टोलों/बसावटों जो अभी तक असम्पर्कित हैं या राज्य या ग्रामीण कार्य विभाग की किसी योजना में स्वीकृत/चयनित नहीं हैं उन्हें बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका– 2.2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाह्य श्रोत से करने का प्रावधान है।

3. राज्य परियोजना स्क्रिनिंग कमिटि द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर दिनांक 05.08. 2021 को सहमति प्रदान की गयी। जिसके तहत निम्नलिखित तीन ट्राँच में योजना का क्रियान्वयन कराया जाना है।

तालिका–1

ट्राँच	लम्बाई (कि०मी०)	परियोजना लागत (करोड़ में)	परियोजना लागत (मिलियन डॉलर में)
I	3030	2473	333
II	2414	1970	266
III	2838	2316	312
कुल	**8282**	**6759**	**912**

4. दिनांकः–4 अक्टूबर, 2021 को एन०डी०बी० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव समर्पित किया गया जिसपर दिनांक–18.01.2022 को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के 124वीं संवीक्षा समिति की बैठक में परियोजना प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किया गया।

5. उक्त स्वीकृति के आलोक में 8282 कि0मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत यू०एस०डी० 912000000/– (यू०एस०डी० इक्कानबे करोड़ बीस लाख) के विरूद्ध एन०डी०बी० से सहायता राशि यू०एस०डी० 63,81,20,000/– (यू०एस०डी० तीरसठ करोड़ इक्कासी लाख बीस हजार) एवं राज्यांश यू०एस०डी० 273540000/– (यू०एस०डी० सताईस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार) के योजना प्रस्ताव के कुल राशि का 70% राशि वित्तीय सहायता के रूप में एन०डी०बी० से प्राप्त करने हेतु दिनांकः–02 फरवरी, 2022 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एन०डी०बी० को अनुशंसा पत्र भेजा गया।

6. सम्प्रति नये दर पर संशोधित योजना प्रस्ताव **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)** जिसके तहत 8283 कि0मी0 ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण से 7209 असम्पर्कित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जाएगी जिसे निम्नलिखित तीन ट्राँच में किया जाना है।

तालिका–2

ट्राँच	लम्बाई (कि०मी०)	परियोजना लागत (करोड़ में)	परियोजना लागत (मिलियन डॉलर में)
I	3014	3284.25	402.08
II	2326	2534.56	310.31
III	2943	3206.89	392.61
कुल	**8283**	**9025.70**	**1105.00**

7. दिनांक–31.03.2023 को उक्त संशोधित प्रस्ताव पर एन०डी०बी० द्वारा इस परियोजना से संबंधित निम्नलिखित प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेंट प्लान के अनुरूप प्रोजेक्ट कन्सेप्ट नोट पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका–3				
क्र० सं०	कम्पोनेन्ट	राशि (मिलियन रूपये में)	राशि (मिलियन यू०एस० डॉलर में)	कुल का अंश (%)
1	निर्माण कार्य (ओ० & एम०)	88708.50	1086.05	98.14 %
2	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट	442.40	5.42	0.50 %
3	पायलट प्रोजेक्ट	1106.10	13.54	1.22 %
4	फ्रंट एंड फी	130.30	1.6	0.14 %
कुल		**90387.30**	**1106.61**	**100.00 %**

इस तालिका के अनुसार कंडिका–5 में वर्णित कुल परियोजना लागत यू०एस०डी० 912000000/– (यू०एस०डी० इक्कानबे करोड़ बीस लाख) अर्थात ₹ 67590000000/– (रूपये छः हजार सात सौ उनसठ करोड़ मात्र) नये दर के कारण अब बढ़कर यू०एस०डी० 110,66,10,000/- (यू०एस०डी० एक सौ दस करोड़ छियासठ लाख दस हजार) अर्थात ₹ 9038,79,04,600/– (नौ हजार अड़तीस करोड़ उनासी लाख चार हजार छः सौ रूपये) हो गयी है, जिसमें एन०डी०बी० से सहायता राशि पूर्व से निर्धारित यू०एस०डी० 63,81,20,000/– (यू०एस०डी० तीरसठ करोड़ इक्कासी लाख बीस हजार) अर्थात ₹ 5212,16,41,600/– (पाँच हजार दो सौ बारह करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार छः सौ रूपये) ही है लेकिन राज्यांश यू०एस०डी० 273540000/– (यू०एस०डी० सताईस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार) अर्थात 20280000000/– (दो हजार अठाईस करोड़ रूपये) से बढ़कर यू०एस०डी० 46,84,90,000/– (यू०एस०डी० छियालीस करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार) अर्थात ₹ 3826,62,63,000/– तीन हजार आठ सौ छब्बीस करोड़ बासठ लाख तीरसठ हजार रूपये) हो गया है।

8. इस योजना का क्रियान्वयन एन०डी०बी० की मार्गदर्शिका के अनुसार की जाएगी। निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए निर्धारित स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार की जाएगी।

9. इस योजना के कुशल प्रबंधन हेतु आवश्यकतानुसार सेवा निवृत/अनुभवी पदाधिकारियों की सेबा ली जाएगी।

10. गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप पथ/पुल निर्माण कार्य के क्रियान्वयन एवं सतत पर्यवेक्षण हेतु वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से वाहन/परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

11. योजना में सड़क/पुल निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार रैयती भूमि को सतत् लीज पर लेने/ भूमि अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जाएगा। सतत् लीज/भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने हेतु 09 (नौ) सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारियों को राजस्व पदाधिकारियों के रूप में अनुबंध पर परियोजना अवधि तक रखने का प्रस्ताव है। इस पर होने वाले अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय ₹ 1,42,56,000/– (एक करोड़ बयालीस लाख छप्पन हजार रूपये मात्र) का वहन मांग संख्या–37, राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष–0108–ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना, विषय शीर्ष 28 02 संविदा सेवाएँ मद, विपत्र कोड–37–2515000010108 से भारित किया जाएगा।

12. बजटीय राशि का 2.25 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय हेतु कर्णांकित किया जाएगा।

13. योजना के तहत कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय जाँच की व्यवस्था की जाएगी एवं साथ ही अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी विशेषज्ञ एवं राज्य में अवस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जा सकेगा। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सुसंगत आई०आर०सी० कोड इस योजना पर लागू होगा।

14. वर्त्तमान में तकनीकी मानव बल की कमी को देखते हुए ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु अस्थायी रूप से वित्त विभाग, बिहार सरकार से निर्गत संकल्प संख्या–एम–4–06/2023–2988/वि०, पटना दिनांक–23.03.2023 के आलोक में कुल 950 (नौ सौ पचास) तकनीकी पर्यवेक्षकों को तकनीकी मानव बल प्राप्त होने अथवा योजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा। इस पर होने वाला अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय (मानदेय/पारिश्रमिक, सेवा शुल्क एवं जी०एस०टी० सहित) कुल ₹ 35,98,41,000 (पैंतीस करोड़ अनठानवें लाख इकतालीस हजार रूपये) आकलित है। यह राशि मांग संख्या–37, राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष–0108–ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों

की स्थापना, विषय शीर्ष 28 02 संविदा सेवाएँ मद, विपत्र कोड–37–2515000010108 से भारित किया जाएगा।

15. ग्रामीण पथों के लिए डेडिकेटेड ऐसेट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत निर्माणाधीन पथों के क्रियान्वयन एवं निर्मित पथों के अनुरक्षण कार्य के जी०आई०एस आधारित अनुश्रवण हेतु पथों/पुलियों से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय ऑकड़ों का संधारण, कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट के ऑकड़ें, गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन की प्रविष्टि के साथ–साथ, वेब/मोबाईल आधारित नॉन कम्पलायन्स गतिविधि की स्वचालित अधिसूचना प्रणाली विकसित करने हेतु एक वृहद डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली तैयार किया जायेगा। इसके लिए सूक्ष्म स्तर तक का सुदृढ़ एम०आई०एस० प्रणाली विकसित करने एवं उसके वार्षिक रख–रखाव पर होनेवाले व्यय का वहन एन०डी०बी० के कम्पोनेन्ट–II से भारित होगा। एन०डी०बी० के ऐड मेमॉयर में इसके लिए निर्देश दिया गया है।

16. बिहार सरकार द्वारा एन०डी०बी० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार, एन०डी०बी० एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

17. बिहार ग्रामीण पथ परियोजना–2 के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत 100 या इससे अधिक की आबादी वाले असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन०डी०बी०) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मंत्रिपरिषद की सहमति के पश्चात एन०डी०बी० के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय एकरारनामा तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा किया जायेगा।

18. प्रस्तावित योजना नई योजना है, जिसका योजना शीर्ष– मांग संख्या–37, मुख्य शीर्ष–4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103– ग्राम विकास, उप शीर्ष– 0520–मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) (एन०डी०बी०), विपत्र कोड– 37–4515–00–103–0520 है। रूपया 1500,00,00,000/– (एक हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय प्राप्त करने हेतु योजना एवं विकास विभाग से अनुरोध किया गया था, जिसके विरूद्ध 40000.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त हो गया है। अवशेष रूपया 1100,00,00,000/– (एक हजार एक सौ करोड़ रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि/ अनुपूरक आगणन से प्राप्त की जाएगी।

19. **बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)" अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छुटे हुए असम्पर्कित ग्रामों/टोलों/ बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में 8283 कि०मी० ग्रामीण पथों को मल्टी ट्राँच फाइनान्सिंग फैसिलिटि के तहत ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक से यू०एस०डी० 63,81,20,000/– (यू०एस०डी० तीरसठ करोड़ इक्कासी लाख बीस हजार) अर्थात रूपया 5212,16,41,600/ (पाँच हजार दो सौ बारह करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार छः सौ रूपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा इस योजना के ट्राँच–I के 3014 कि0 मी0 का न्यूनतम 30% अर्थात 904 कि0मी0 ग्रामीण पथों (पुल/पुलिया सहित) के निर्माण एवं इसके पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के रेट्रोएक्टिव फाइनान्सिंग के तहत एडवांस प्रोक्योरमेंट के लिए कुल राशि रूपया 1500,00,00,000/– (एक हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं कंडिका–7 से 18 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,

ज्ञापांकः–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021 - 1341 /पटना, दिनांकः–27/7/23

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021 – 1341 /पटना, दिनांकः–27/7/23

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ महालेखाकार, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021 – 1341 /पटना, दिनांकः–27/7/23

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–BRRDA(HQ)MMGSY(NDB)-31/2021 – 1341 /पटना, दिनांकः–27/7/23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव